निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 634) पटना, मंगलवार, 16 जुलाई 2024

वित्त विभाग

अधिसूचना
16 जुलाई 2024

सं० एम–4–03/2021–7617/वि०––भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–131ख में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन के तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–131ख को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"राज्य सरकार बिहार राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाईयों/उद्यम से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु खरीद अधिमानता नीति से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित कर सकेगी ।

ऐसी खरीद अधिमानता नीति के प्रावधानों का राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में अधिसूचित एवं प्रवृत सभी प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव होगा ।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन) ।

The 16th July 2024

No.-M-4-03/2021-7617/F--In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Rule 131B of Bihar Financial Rules, 1950 (as amended from time to time):-

1. Short title, extent and commencement-
   (1) These rules may be called The Bihar Financial (Amendment) Rules, 2024.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force immediately on its publication in the official gazette.
2. Rule 131B of Bihar Financial Rules, 1950 is substituted as follows:-

"State Government may notifiy Purchase Preference policy related provisions for Procurement of Goods & Services from industrial units/Enterprise located within the State of Bihar..

Provisions of such Purchase Preference policy shall have overriding effect on all existing and notified provisions by the State Government in this regard."

By order of the Governor of Bihar,
Lokesh KUMAR SINGH,
Secretary (Resource).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 634-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in